

15-2-21 पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उद्योग  
 बहल हुई गई। बहल के दौरान राजकीय  
 अभिभाषक ने कथन छिपा दि विचारधीन  
 रेफरेंस प्राप्ति में प्रस्तुतीकरण के लक्षण  
 अप्रार्थीगण की जाति सखत ले जाट लिख  
 दी गई जबकि अप्रार्थीगण वास्तव में स्वामी  
 जाति से हैं। अप्रार्थीगण की जाति भी जाति  
 जाट के रूप में होकर प्राप्त हुई है। तदुनीति  
 दृष्टि से उक्त रेफरेंस प्राप्ति सही तरह से प्रस्तुत  
 नहीं हुआ है। अतः उक्त रेफरेंस प्राप्ति खारिज  
 किया जाकर तहसीलदार चिडावा को पुनः नये  
 सिरे से रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु आदेश  
 दिये जावे।

इसके बहल पर बगौर मकत किया। राजकीय  
 अभिभाषक का कथन उचित प्रतीत होता है।  
 अतः उक्त रेफरेंस प्राप्ति खारिज किया जाकर  
 तहसीलदार चिडावा को पुनः नये सिरे से रेफरेंस  
 प्राप्ति प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः  
 पत्रावली फैसल हुआ होकर तम्बा से रुक हो  
 एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(शुद्धी) (बान)  
 जिला कलेक्टर मुन्डुन